संख्या:193/2022/636/35-4-2022/001-35/4099/447/2021

प्रेषक,

विवेक,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
कौशाम्बी।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 22 जून, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2022-23 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि मा0 मुख्यमंत्री जी की घोषणा के क्रम में जनपद-कौशाम्बी में विधान सभा क्षेत्र-चायल के राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-चायल, ग्राम मोहद्दीनपुर गौस उपरहार, कौशाम्बी का भवन निर्माण कार्य की त्वरित आर्थिक विकास योजना से शासनादेश संख्या-38/2020/509/35-4-2020, दिनांक 28 मार्च, 2020 द्वारा स्वीकृति निर्गत करते हुए भवन निर्माण कार्य की अनुमोदित लागत रू0 1110.07 लाख पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुये लागत के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में रू. 444.02 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई थी। तत्पश्चात शासनादेश सं0-128/2021/1262/35-4-2021, दिनांक 18 अगस्त, 2021 द्वारा द्वितीय किश्त के रूप में रू0 111.00 लाख तथा शासनादेश सं0-174/2021/1596/35-4-2021, दिनांक 08 अक्टूबर, 2021 द्वारा तृतीय किश्त के रूप में रू0 277.52 लाख की धनराशि अवमुक्त की गई।

2- तदोपरान्त जिलाधिकारी के पत्र संख्या-827/1 बी0/2021-22 दिनांक 28 जुलाई,2021 द्वारा राजकीय आई0टी0आई0 के भवन निर्माण कार्य की लागत में मिट्टी की लागत को सम्मिलित करते हुए कार्य की लागत को पुनरीक्षित किये जाने का अनुरोध किया गया था। तत्क्रम में शासनादेश संख्या-64/2022/176/35-4-2022 दिनांक 25 फरवरी,2022 द्वारा कार्य की लागत को रू. 1157.37 लाख पर पुनरीक्षित किया गया है।

3- जनपद द्वारा पत्र सं0-917/1बी./लो0नि0वि0,प्रा0ख0-कौशा0/2022, दिनांक 19 मई, 2022 एवं पत्र संख्या-1295/लो0नि0वि0,प्रा0ख0-कौशा0/2022 दिनांक 10 जून,2022 द्वारा प्रश्नगत कार्य हेतु उक्त शासनादेशों से प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय किश्त के रूप में अवमुक्त धनराशि का पूर्ण उपभोग होना इंगित करते हुए पुनरीक्षित लागत रू0 1157.37 लाख के सापेक्ष अवशेष धनराशि रू0 324.83 लाख अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है। एतदद्वारा उपर्युक्त शासनादेशों द्वारा स्वीकृत कार्य की लागत के सापेक्ष पूर्व में अवमुक्त धनराशि रू. 832.54 लाख को समायोजित करते हुए चतुर्थ किश्त के रूप में पुनरीक्षित लागत रू. 1157.37 लाख के सापेक्ष अनुमन्य धनराशि रू. 231.47 लाख (रूपये दो करोड़ इकतीस लाख सैतालिस हजार मात्र) को निम्न शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की, श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(रू. लाख में)

कार्य का नाम	पुनरीक्षित अनुमोदित लागत	पूर्व में अवमुक्त धनराशि	अवमुक्त धनराशि
राजकीय आई0टी0आई0, विधान सभा क्षेत्र-चायल, ग्राम मोहद्दीनपुर गौस उपरहार, कौशाम्बी का भवन निर्माण कार्य	1157.37	832.54	231.47

1- सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 28 मार्च, 2020, 18 अगस्त, 2021, 08 अक्टूबर, 2021 एवं 25 फरवरी, 2022 की शर्ते यथावत लागू रहेंगी।

2- प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करा दी जायेगी।

3- परियोजना के लिये स्वीकृत धनराशि ब्याज अर्जित करने के उद्देश्य से आहरित कर बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। प्रश्नगत धनराशि आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी और तदनुसार कार्यदायी संस्था को धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

4- कार्यो को मानकों के अनुरूप पूर्ण गुणवत्ता के साथ स्वीकृत लागत में ही पूर्ण किया जायेगा और लागत वृद्धि अनुमन्य नहीं होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- स्वीकृत धनराशि का आहरण कर सदुपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और यदि कोई धनराशि अप्रयुक्त/अनाहरित बचती है तो उसे 31 मार्च, 2023 से पूर्व समर्पित किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि का पूरा लेखा-जोखा 31 मार्च, 2023 तक नियोजन अनुभाग-4 को प्रस्तुत किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

6- राजकोष से आहरित धनराशि का त्रैमासिक आधार पर मिलान महालेखाकार उ0प्र0 में अनुरक्षित लेखों से अनिवार्यतः कराया जायेगा तथा वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात 3 माह में अर्थात 30 जून,2023 तक स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष हुए व्यय का महालेखाकार द्वारा सत्यापित विवरण नियोजन विभाग को प्रेषित किया जायेगा।

7- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए स्वीकृत लेखानुदान के सापेक्ष उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय करते समय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः 13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 में उल्लिखित शर्तो एवं निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,31,47,000 (रुपये दो करोड़ इकतीस लाख सैतालिस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखाशीर्षक 42500020303 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भवन निर्माण के चालू कार्य के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून, 2022 मे प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(विवेक)
विशेष सचिव।

संख्या:193/2022/636/35-4-2022/001-35/4099/447/2021, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज।
3- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास विभाग।
4- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0।
6- निजी सचिव, मा. मुख्यमंत्री जी ।
7- मण्डलायुक्त, प्रयागराज मण्डल।
8- निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
9- प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
10- मुख्य विकास अधिकारी, कौशाम्बी।
11- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, कौशाम्बी ।
12- गार्ड फाईल।
13- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
14- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, कौशाम्बी ।
15- सम्बंधित अधिशाषी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, कौशाम्बी ।

आज्ञा से,

(विवेक)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।